न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 74/2021
RCMS No. : 2021/222

प्रार्थी:— बनाम अप्रार्थीगण :—
सरकार
श्री निरंजन कुमार पुत्र श्री मंगलदास
मैसर्स मंगलदास खेमचंद मैन मार्केट,
सोजत सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :—
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश टॉक।

—: निर्णय :—

दिनांक - 06.09.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारिख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 06.01.2021 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मंगलदास खेमचंद मैन मार्केट, सोजत सिटी पर गया। जहां पर अप्रार्थी उपस्थित मिला, जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मंगलदास खेमचंद मैन मार्केट, सोजत सिटी का निरिक्षण करने पर पाया कि दुकान में चाय की पत्ती के 500—500 ग्राम के 10 पैकेट आमजन को बैचने के लिए रखे हुए थे जिस पर ब्राण्ड नेम तारा लिखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। अप्रार्थी संख्या 01 को यह बता दिया कि बिक्री हेतु रखे चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जाचं हेतु नमुना ले रहा हुं। इसलिए विक्रेता मालिक व गवाहान कि उपस्थिति में चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) जॉच हेतु चार मुल पैकेट 500—500 ग्राम के क्रय कर जिनका मूल्य 440 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मालिक एवं उपस्थित गवाह ने हस्ताक्षर किये तथा दुकान से खरीदे गये चारो चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) के नमुना पैकेट पर मौके पर लेबल तैयार कर उस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व क्रमांक आर—1206 लिखा एवं नमुना का विवरण अंकित कर मालिक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

एंव गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये एवं नियमानुसार सीलबंद मुहर कर अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी द्वारा मौके पर मौका फर्द तैयार कि जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्हाने स्वयं पढकर सुनकर एवं समझकर व सही मान हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त रामस्त कार्यवाही मौके पर ही की गई। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) का नमुना एंव फार्म संख्या 06 की प्रतिया खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवायी गई खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर की जावं रिपोर्ट संख्या एलएस/35/एक्ट/2020/133 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा विक्रेता की फर्म से लिया गया चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) का नमुना Mis Branded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act-2006 पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस एवं अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कानुन मे विहित प्रावधान नियमों की पालना किये बिना सेम्पल लिया है। अप्रार्थी ने चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) निर्माता श्री शंकर टी कम्पनी टाउन हॉल के पास ब्यावर से जरिये बिल नम्बर/ जीएसटी नम्बर 6537 दिनांक 11.12.2020 को सीलबंद अवस्था में खरीद किया गया एवं उसी अवस्था में आम जन को विक्रय किया गया है। जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का फेर–बदल या मिलावट नही की है। इसलिए अप्रार्थी की फर्म किसी प्रकार से दोषी नही है। पैकेजिंग पर जो जानकारी मुद्रित है वह निर्माता कम्पनी द्वारा मुद्रित की जाती है जिसके लिए निर्माता कम्पनी दोषी है उसे नोटिस दिया जाकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए थी लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा नही किया। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) उत्पादन की गुणवता के मानक स्तर पर पाई गई है, लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिसब्राण्ड के आधार पर अप्रार्थी को लेबल पर बेच नम्बर, डेट ऑफ मेनुफेक्चरिंग व पूर्ण पता नहीं होने के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया है। लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों का उल्लेख फर्द जब्ती पर नहीं किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.01.2021 को अप्रार्थी की फर्म से चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1206 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./35/एक्ट/2020/133 दिनांक 18.01.2021 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1206 को Mis Branded under section 3(1)(zf)(C)(i) माना है, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नमुना चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

मैनुफैक्चुरिंग/पैकिंग फर्म का पूर्ण पता अंकित नहीं होने से Mis Branded माना है जो न्यायोचित है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (6) के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का भी उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded खाद्य पदार्थ चाय पत्ती (ब्राण्ड तारा) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 06.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली